

4000 kg नकली पनीर जब्त, गले से उतरते ही पेट में भर देगा जहर, FSSAI ने बताया 5 सेकंड में करें चेक



झारखंड के हजारीबाग जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नकली पनीर बनाने और बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां करीब 4000 किलो नकली पनीर जब्त कर नष्ट किया गया है, जिसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। नगवां टोल प्लाजा पर दो बसों से नकली पनीर ले जाया जा रहा था। इस नकली पनीर को बिहार के बख्तियारपुर और मनेर से लाया गया था, जिसे रांची, हजारीबाग और रामगढ़ में सप्लाई किया जाना था।

अधिकारियों का कहना है कि नकली पनीर खाना सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है और इससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। अधिकारियों ने पहले ही आदेश दिया था कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नकली पनीर लोगों की थाली तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसी के चलते हजारीबाग प्रशासन ने सख्त कदम उठाया।

भारत में खाने-पीने की चीजों में मिलावट की खबरें आम होती जा रही हैं। दुकानदार ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए खाने की चीजों की गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं और FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/lifestyle/health/4000-kg-fake-paneer-seized-in-hazaribagh-jharkhand-fssai-told-fake-paneer-side-effects-on-health-and-how-to-check-adulteration-in-paneer/articleshow/121899192.cms>